संख्या-41 /2025/313जे0/22-5-2025-300(85)/2017

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5 **लखनऊ: दिनांक 26 मार्च, 2025**

विषय- जिला कारागार, इटावा में निरूद्ध रहे सिद्धदोष बंदी विनोद पुत्र श्री परमलाल के उपचार हेतु स्वीकृत धनराशि रू० 5,00,000/- (रू0 पांच लाख मात्र) की स्वीकृति को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-12663/सामा-1(5)/223/ब0चि0धना0-विनोद/25, दिनांक 19-03-2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जिला कारागार, इटावा में निरूद्ध रहे सिद्धदोष बंदी विनोद पुत्र श्री परमलाल की दिनांक 07-03-2025 को जिला चिकित्सालय, इटावा में मृत्यु हो जाने के दृष्टिगत पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-27/2025/160जे0/22-5-2025-300(85)/2017, दिनांक 19-02-2025 द्वारा उपचार हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 5,00,000/- (रू0 पांच लाख मात्र) को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत बंदी के उपचार हेतु निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 19-02-2025 को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शिव गोपाल सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या:41/2025/313जे0(1)/22-5-2025, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- जिला मजिस्ट्रेट, इटावा।

2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती

http://shasanadesh.up.nic.in

3- मुख्य कोषाधिकारी, इटावा।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, इटावा(

5- वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-12।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अभय कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती